अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र

फोन 0141–2226632, फैक्स 0141–2226631 E-mail : sjerajasthan@yahoo.co.in

क्रमांकः– एफ 11(164) देव.यो./विपिव उ.मै.छा./बजट/सान्याअवि/10/ 17366-622 दिनांक 4/3/2011

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ।
3. निदेशक, प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा जोधपुर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. प्राचार्य, राजकीय .... महाविद्यालय ....
6. प्रधानाचार्य, राजकीय .... पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ....
7. अधीक्षक/जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ....
8. प्राचार्य, ... मेडीकल कॉलेज, ...
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....

विषय :– देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछडा वर्ग हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में नवीन बजट मद में व्यय करने बाबत।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय के बजट आवंटन पत्रांक 66029-171 दिनांक 02.12.10, 72637-73 दिनांक 27.12.10, 11362-405 दिनांक 15.02.11 एवं 15577-80 दिनांक 01.03.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के द्वारा आपके कार्यालय/संस्था को निम्न बजट मद में बजट आवंटन करते हुए नवीन बजट शीर्ष स्वीकृत होने से पूर्व तक व्यय करने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2225 अनु.जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

277 शिक्षा

(01) छात्रवृति और वजीफा

[01] संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से

13 छात्रवृति और वजीफा

वित्त (व्यय–II) विभाग की अर्न्तविभागीय डायरी संख्या 161100108 दिनांक 21.02.11 के द्वारा विशेष पिछडा वर्ग हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना हेतु संशोधित अनुमानों में नवीन बजट मद में प्रावधान की सहमति प्रदान की गई है, अतः निर्देशित किया जाता है कि अब विशेष पिछडा वर्ग हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना हेतु पूर्व में आवंटित राशि का निम्न बजट मद में व्यय किया जावे :–

मांग संख्या – 33

2225 अनु.जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

03 अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण

800 - अन्य व्यय

(05) देवनारायण योजना (सा.न्या.अ.विभाग के माध्यम से)

[04] विशेष पिछडे वर्ग के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

13 छात्रवृति और वजीफा (आयोजना)

विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में व्यय करने से पूर्व निम्न निर्देशों का **पालन करते हुए निम्न प्रपत्र में आधिक्य व्यय/बचत मानचित्र की जिलेवार सूचना दिनांक 15.03.2011 सूचना फेक्स/ई-मेल एवं दूरभाष पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।**

बजट मद ....

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	संशोधित बजट प्रावधान	13.3.11 तक व्यय	14.3.11 से 31.3.11 तक संभावित व्यय	वित्तीय वर्ष में कुल संभावित व्यय	संभावित बचत (–)(3–5)	संभावित अधिक व्यय (+) (5–3)
1	2	3	4	5	6	7	8

आधिक्य/बचत विवरण प्रपत्र भिजवाते समय सुनिश्चित करें कि 31.03.11 तक जो संभावित व्यय दर्शाया जाना है, वह वास्तविक व्यय के करीब है।

1. आवंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावें तथा सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जावे। आवंटन से अधिक व्यय करने पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव के लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. संशोधित अनुमानों में नवीन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत रखे गये बजट प्रावधानों को राज्य विधानसभा से अनुपूरक अनुदान पारित होने पूर्व व्यय नहीं किया जावे।
3. निर्धारित दिनांक तक आधिक्य/बचत की सूचना प्राप्त नहीं होने पर आधिक्य/बचत शून्य मानते हुए सूचना वित्त विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आवंटित बजट राशि के अधिक/कम व्यय के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. पूर्व बजट आवंटन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में सूचना समय पर प्रेषित कराने का श्रम करावें।

आयुक्त

क्रमांक:– एफ 11(164) देव.यो./विपिव उ.मै.छा./सान्याअवि/10/17623-60 दिनांक: 4/3/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. कोषाधिकारी, ... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नवीन बजट मद में ही बिल पारित करना सुनिश्चित करावें एवं संबंधित उप कोषाधिकारी को भी निर्देशित करावें।
5. मुख्य लेखाधिकारी/संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
6. लेखाकार (बजट)/अंक मिलान, मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर – विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु।

संयुक्त निदेशक (देव.यो.)